

राजस्थान सरकार

परिवहन विभाग

परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: एफ 25 (46) परि/कम्यू/2012 / ५१०५५

जयपुर, दिनांक: १२/१/१४

कार्यालय आदेश ०२/२०१४

परिवहन श्रेणी के वाहनों को समस्त प्रकार की विनागीय सेवाएं वाहन सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिये जाने के निर्देश पूर्व में दिये जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा समय समय पर समस्त परिवहन यानों की बैकलॉग एन्ड्री सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये जाते रहे हैं, किन्तु यह ध्यान में लाया गया है कि इन निर्देशों की पालना पूर्ण रूपेण नहीं की जा रही है।

अतः समस्त अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि परिवहन श्रेणी के समस्त वाहनों को विनागीय सेवाएं यथा फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने, HPN endorsement, HPN cancellation, RC renewal व Transfer of Ownership, NOC, TCC जारी करना इत्यादि करने के पूर्व 'वाहन' डेटाबेस में बैकलॉग से डेटा एन्ड्री (यदि पूर्व में नहीं हो) आवश्यक रूप से करावें। तदुपरान्त कर की गणना कर, यदि बकाया हो तो, वाहन स्थामी द्वारा पूरा कर जमा कराने के पश्चात् ही वाचित सेवा दें। वर्ष 2014 के अन्त तक समस्त परिवहन वाहन 'वाहन' डेटाबेस में संधारित करना अनिवार्य किया जाता है। इस समयावधि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी।

साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में जमा की जाने वाली समस्त राशि हेतु समस्त प्रकार की रसीदें केवल वाहन सॉफ्टवेयर से ही काटी जायेगी। अन्य किसी सॉफ्टवेयर (चाहे विनागीय हो) का उपयोग पूर्णतया वर्जित किया जाता है। 'वाहन' सॉफ्टवेयर में उपलब्ध एनओसी, टैक्स क्लीयरेन्स सर्टिफिकेट (टीसीसी) एवं घालान के मॉड्यूल का ही उपयोग किया जावे। जिन वाहनों के विवरण 'वाहन' डेटाबेस में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें पहले 'बैकलॉग' से एन्ड्री कर वाचित सेवा वाहन सॉफ्टवेयर से ही दिया जाना अनिवार्य है।

'वाहन' सॉफ्टवेयर में उपलब्ध परिवहन श्रेणी के वाहनों के द्वारा विभाग में जमा कराये गये कर की सूचना सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त करने का प्रावधान है। इसका उपयोग कर परिवहन श्रेणी के वाहन स्वामियों को बकाया कर जमा करवाने के लिए नोटिस जारी कर, बकाया कर की वसूली की जाये।

इन निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लेते हुए सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनालक कार्यवाही की जायेगी।

(मुकेश शर्मा)

परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: एफ 25 (46) परि/कम्यू/2012 / ५१०५५-

६।

जयपुर, दिनांक: १२/१/१४

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, परिवहन एवं गृह राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अति. प्रमुख शासन सचिव (परिवहन) जयपुर।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण
4. समस्त उपायुक्त (प्रवर्तन)
5. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
6. एनोलिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को बैदसाइट पर अपडेट करने हेतु प्रेषित है।
7. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग
परिवहन भवन, सहकार मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांक: एफ 25 (45) परि/कम्प्यू/2012/५१६९५

जयपुर, दिनांक २७/०१/२०१४

कार्यालय आदेश ०३/२०१४

विषय :- वाहन पंजीयन एवं चालक अनुज्ञा प्रमाण पत्र स्मार्ट कार्ड पर जारी करने के क्रम में।

पेपर आधारित वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र (RC) एवं चालक अनुज्ञा पत्र (DL) के स्थान पर स्मार्ट कार्ड आधारित RC एवं DL जारी करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते हैं-

ब्लैंक एवं प्रिन्टेड स्मार्ट कार्ड का लेखा, संधारण एवं सुरक्षा :-

- सेवा प्रदाता द्वारा सभी कार्यालयों में वाहन पंजीयन एवं चालक लाईसेंस जारी करने हेतु निम्नलिखित तीन प्रकार के ब्लैंक कार्ड उपलब्ध करवाये जायेंगे--
 - वाहन पंजीयन गैर परिवहन श्रेणी
 - वाहन पंजीयन परिवहन श्रेणी
 - चालक लाईसेंस
- तीनों प्रकार के ब्लैंक कार्ड पर एक यूनिक नम्बर प्रिन्ट हुआ होगा, जो कि होलोग्राम के ठीक उपर अंकित होगा।
- प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय स्तर पर सेवा प्रदाता द्वारा आपूर्ति किए गए ब्लैंक कार्ड की Inventory रखने के लिए एक अधिकारी/कर्मचारी को प्राधिकृत किया जायेगा। ब्लैंक कार्ड की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी अधिकारी/कर्मचारी की होगी।
- उक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन पंजीयन/लाईसेंस शाखा को जारी किये जाने वाले ब्लैंक कार्ड का रजिस्टर संधारित किया जावेगा--
 - प्राप्त होने वाले कार्डों का रजिस्टर-

दिनांक	ब्लैंक कार्ड का प्रकार	सेवा प्रदाता का नाम	From Sr. No	To Sr. No.	कुल	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

ii. जारी होने वाले कार्डों का रजिस्टर

दिनांक	ब्लैंक कार्ड का प्रकार	शाखा (जिसे जारी किये गये।)	From Sr. No	To Sr. No.	कुल	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

- प्रतिदिन जारी किये जाने वाले स्मार्ट कार्ड का रजिस्टर निम्नलिखित फार्मेट में सेवा प्रदाता द्वारा प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जायेगा।

क्र. सं.	स्मार्ट कार्ड का सीरियल नम्बर	वाहन पंजीयन/लाईसेंस संख्या	प्रार्थी का नाम	सेवा प्रदान करने का विवरण	तैयार किये गये स्मार्ट कार्ड स्पष्ट एवं गुणवत्ता के आधार पर सही है अथवा नहीं	यदि दुबारा प्रिन्ट करवाना है तो कारण लिखे

6. दोनों RA-IA कार्ड को प्रतिदिन कार्यालय में उपलब्ध तिजोरी में सुरक्षित रखा जायेगा। जिन अधिकारियों को ये कार्ड आवृत्ति होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी कि कार्यालय छोड़ने से पूर्व उन्हें तिजोरी में सुरक्षित रखवायें।
7. यदि किन्हीं कारण वश कार्ड खो जाता है अथवा चोरी हो जाता है उस स्थिति में FIR दर्ज करानी होगी। साथ ही मुख्यालय पर पदस्थापित State Key Management Authority श्री एच.पी.मिश्रा, अपर परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा) को सूचित करना आवश्यक होगा।
8. प्रत्येक RA-IA कार्ड के सेट के द्वारा जारी होने वाले वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र की संख्या मुख्यालय स्तर पर निर्धारित की जायेगी। एक सेट के द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र की संख्या पूर्ण होने पर प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा मुख्यालय पर पदस्थापित SKMA को अपनी requirement भेजनी होगी, तथा स्वयं उपस्थित होकर दोनों RA-IA को Recharge कराना होगा।
9. इसी प्रकार लाईसेंस जारी करने हेतु LA-IA-1 एवं LA-IA-2 कार्ड की आवश्यकता होगी। जिसकी प्रक्रिया भी बिन्दु संख्या 2 से 8 के अनुरूप ही होगी।

स्मार्ट कार्ड जारी करने की प्रक्रिया :-


1. पंजीयन प्रमाण पत्र:-

- a. स्मार्ट कार्ड पर पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करने पर फार्म 20 पर वाहन स्वामी की फोटो, हस्ताक्षर एवं HSRP के लेजर नम्बर चिपकाना आवश्यक होगा।
- b. 'वाहन' सॉफ्टवेयर द्वारा वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूर्व में ऐपर बेस पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 'Approval' तक समान है। पंजीयन शाखा के सम्बंधित कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी कि बैन्डर द्वारा कम्प्यूटर में इन्ड्राज वाहन का पूर्ण डेटा चैक करने के उपरान्त प्रमाणित करते हुए अपने हस्ताक्षर के साथ जिला परिवहन अधिकारी के समक्ष Approval के लिए प्रस्तुत करे।
- c. जिला परिवहन अधिकारी द्वारा अप्रूव करने पर वाहन का पंजीयन क्रमांक पूर्व की भाँति आवंटित हो जायेगा।
- d. जिन वाहनों को पंजीयन क्रमांक आवंटित हो गये हैं उनका डेटा सर्वर रूम में कार्यरत सूचना सहायक द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से फ्लैट फाईल जनरेट कर सेवा प्रदाता को उपलब्ध करायेगा।
- e. सेवा प्रदाता द्वारा इस फाईल का उपयोग कर स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट करेगा (कार्ड के विजिबल जोन एवं मेमोरी चिप पर)। तथा वापिस पंजीयन अधिकारी/शाखा को उपलब्ध करायेगा।
- f. कार्यालय में सर्वर रूम में एक कम्प्यूटर पर तीन स्मार्ट कार्ड रीडर स्थापित किये जायेंगे जिन्हें सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस कम्प्यूटर पर कार्ड पर्सनलाईजेशन का कार्य सम्पादित किया जायेगा।
- g. बिन्दु 1(f)में वर्णित कम्प्यूटर पर उपलब्ध 3 स्मार्ट कार्ड रीडर में से एक रीडर में RA-IA-1 कार्ड लगाकर पिन अंकित किया जायेगा तथा दूसरे में RA-IA-2 का कार्ड लगाकर उसका पिन अंकित किया जायेगा।
- h. तीसरे रीडर में एक-एक करके जिन वाहनों का स्मार्ट कार्ड जारी किया जाना है उन्हें लगाया जायेगा। एक कार्ड लगाने के उपरान्त कार्ड की मेमोरी चिप में उपलब्ध सूचना कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती है जिसका मिलान कार्ड पर प्रिन्ट सूचना एवं मूल दस्तावेजों से कर जिला परिवहन अधिकारी द्वारा अप्रूव करने पर कार्ड पर Master Key दर्ज हो जायेगी एवं कार्ड जारी करने हेतु तैयार जायेगा। इसके उपरान्त कार्ड में किसी भी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन करना समव नहीं होगा।

लिए सेवाप्रदाता को डेटा पुश कर दिया जावे। सेवाप्रदाता द्वारा कार्ड प्रिन्ट कर विभाग को पर्सनलाईज करने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। सेवा प्रदाता से प्राप्त समस्त प्रिन्टेड कार्ड को पर्सनलाईज कर डीलर्स को दूसरे दिन उपलब्ध कराया जावे। ऐसे डीलर्स से प्राप्त वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र पर सम्बंधित DTO के हस्ताक्षर अंकित होगा।

5. डीलर्स के विवरण के आधार पर तैयार प्रिन्टेड एवं पर्सनलाईज स्मार्ट कार्ड में त्रुटि होने की स्थिति में पुनः कार्ड जारी करने का शुल्क डीलर से वसूल किया जावे।

वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र एवं चालक अनुज्ञा पत्र स्मार्ट कार्ड पर जारी करने की प्रक्रिया को साक्षात् पूर्वक उपराक्तानुसार पूर्ण करने की आवश्यक व्यवस्था की जावे।


(मुकेश शर्मा)
परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: एफ 25 (45) परि/कम्पू/2012 /41696-41702

जयपुर, दिनांक: 21/01/2014

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, परिवहन एवं गृह राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अति. प्रमुख शासन सचिव (परिवहन) जयपुर।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण
4. समस्त उपायुक्त (प्रवर्तन)
5. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी,
6. एनॉलिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय को बेवसाईट पर अपडेट करने हेतु प्रेषित हैं।
7. रक्षित पत्रावली।


वरिष्ठ अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन)